



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग  
विकास आयुक्त का कार्यालय  
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र  
नोएडा दादरी रोड, फेज-II, नोएडा - 201305



फाइल सं. C-21018/04/2014-Admn

19952  
19/12/25

दिनांक---/12/2025

परिपत्र/ Circular

विषय: विकास आयुक्त कार्यालय, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में नकदी के रूप में पैसा रखने के संबंध में -

वाणिज्य विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या **K-43011/53/2023-SEZ (ADMIN)** दिनांक **30.01.2025** तथा पत्र संख्या **K-43011/53/2023-SEZ (ADMIN) (भाग-II)** दिनांक **02.01.2025**, के अनुपालन में विकास आयुक्त कार्यालय (NSEZ) के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है:

In pursuance of the letters issued by the Department of Commerce bearing **Letter No. K-43011/53/2023-SEZ (ADMIN) dated 30.01.2025** and **Letter No. K-43011/53/2023-SEZ (ADMIN) (Part-II) dated 02.01.2025 on "Cash carrying policy in SEZs"**, the following guidelines are hereby issued to all officers/employees and visitors of the Office of the Development Commissioner, NSEZ for strict compliance

(i) विकास आयुक्त कार्यालय, एनएसईजेड के सभी अधिकारी/कर्मचारी नकदी के प्रबंधन से जुड़े जोखिमों को कम करने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन को प्रोत्साहित करना जारी रखें।

All officers of the Office of the Development Commissioner, NSEZ shall continue to promote online financial transactions in order to reduce risks associated with cash handling and to ensure transparency.

(ii) विकास आयुक्त कार्यालय, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में आने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारी एवं आगंतुक अपने पास ₹5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) से अधिक की नकदी/पैसा न रखें। केवल आपात स्थिति में ₹5000/- से अधिक की नकदी/ पैसा रखना/लाना अनुमति सक्षम प्राधिकारी लेना और जिसकी प्रविष्टि निर्धारित नामित रजिस्टर में करना आवश्यक है।

All Officials and Visitors entering Office of the Development Commissioner, Noida Special Economic Zone may not carry cash exceeding **₹5,000/- (Rupees Five Thousand only)**. However, in case of exigency, carrying/keeping cash exceeding ₹5,000/- shall be permitted only with the approval of the Competent Authority, and such permission shall be duly recorded in a designated register maintained for this purpose.

यह परिपत्र विकास आयुक्त, नोएडा की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

किसलय  
19/12/2025

(किसलय)

सहायक विकास आयुक्त

Copy to-

1. OSD to DC: for information, please
2. PA to JDC: for information, please
3. All DDCs/DC(custom)/ ADCs: for necessary compliance, please
4. All sections of NSEZ: for necessary compliance, please
5. NSEZ Website
6. Notice board